संवैधानिक विकास

सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने।

(10) 1919 का भारत शासन अधिनियम (मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) :-

(i) केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना – राज्य परिषद – सदस्य संख्या 60 – [34 निर्वाचित, 26 वायसराय द्वारा मनोनीत]; केंद्रीय विधानसभा – सदस्य संख्या 145 – [104 निर्वाचित, 41 मनोनीत]

दोनों सदनों के अधिकार समान थे। एक अंतर यह था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन के पास था। केंद्रीय विधानसभा में वायसराय की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया है –
- कुछ विषयों के विधेयकों को प्रस्तुत करने से पहले वायसराय की अनुमति आवश्यक
- किसी भी विधेयक पर वीटो के अधिकार को अथवा सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति
- अध्यादेश

(ii) प्रांतों में द्वैध शासन।

प्रांत के विषय – आरक्षित – क्रियान्वयन गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से; हस्तांतरित – विधान परिषद द्वारा

प्रांतीय विधायिका के सदस्यों की संख्या विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न थी जैसे बिहार तथा उड़ीसा में 103, बंगाल में 140 इत्यादि। 70% निर्वाचित और 30% मनोनीत।

इस द्वैध शासन को 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया।

आरक्षित विषय – वित्त, पुलिस, न्याय, छापाखाना, समाचारपत्र, जलमार्ग, ~~[illegible]~~, छोटे बंदरगाह, खान, कारखाना, औद्योगिक विवाद

हस्तांतरित विषय – शिक्षा, ~~[illegible]~~ स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन का नियंत्रण

प्रशासन के विषय – केंद्रीय सूची; राज्य सूची

गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह केंद्रीय सूची के विषय को राज्य के महत्त्व का घोषित करे और राज्य विधानपरिषदों को इस पर कानून निर्माण का अधिकार सौंप दे या राज्य सूची के विषय पर केंद्रीय विधानमंडल को विधि का अधिकार दे दे।

(iii) लोकसेवा आयोग के गठन का प्रावधान। फलस्वरूप 1926 ई. में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन।

(iv) सांप्रदायिक आधार पर सिक्खों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों और यूरोपीयों के लिए पृथक निर्वाचन का विस्तार।

(v) पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार।

(11) 1935 का भारत शासन अधिनियम :-

(i) अखिल भारतीय संघ – यह ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा कुछ भारतीय रियासतें, जो संघ में शामिल होना चाहती थीं, को मिलाकर बनाया गया था।

(ii) प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वायत्तता

(iii) केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना – विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजन। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण।

- परिसंघ सूची → परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की शक्ति (मुद्रा, सेना, विदेशी कार्य, जनगणना)
- प्रांतीय सूची → प्रांतीय विधानमंडल को विधान बनाने की शक्ति (पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा)
- समवर्ती सूची → परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडल दोनों को विधान बनाने की शक्ति (दंडविधि प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद)

किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधान मंडल को प्रांतीय सूची के विषयों पर विधान बनाने की शक्ति थी तो प्रांतीय विधान मंडलों के अनुरोध पर भी परिसंघ विधान मंडल प्रांतीय सूची पर विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषयों पर भी परिसंघ विधि प्रांतीय विधि पर अभिभावी होती थी।

अवशिष्ट विषयी शक्तियाँ वायसराय को दी गई थी।

(iv) संघीय न्यायालय की स्थापना लेकिन इस न्यायालय के फैसले के विरुद्ध प्रिवी-कौंसिल में अपील हो सकती थी।

(v) ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता – किसी भी अधिनियम के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना

(vii) सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार – दलित जातियों, महिलाएँ, मजदूर वर्ग भी सम्मिलित

(viii) इस अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता तो लागू किया गया जिसके तहत 1937 के चुनाव हुए लेकिन केंद्रीय प्रावधान लागू नहीं किया गया।

(12) 1947 ई. का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम :–

(i) दो अधिराज्यों की स्थापना – 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बनाए जाएँगे। ब्रिटिश संसद इन अधिराज्यों के लिए संविधान संबंधी सत्ता सौंपी जाएगी।

(ii) दोनों अधिराज्यों में एक-एक गवर्नर जनरल होंगे।

(iii) संविधान के निर्माण तक संविधान सभाएँ विधानमंडल के रूप में कार्य करेंगी।

(iv) अब मंत्रीपद की समाप्ति

(v) संविधान सभा के गठन तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत शासन

(vi) देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता का अंत किन्हें भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता।

(vii) भारत डोमेनियन की सिंध, बलूचिस्तान, प० पंजाब, प० बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्यक्षेत्र मिल गया।